(पंजीकृत/ईमेल)

# उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
**दूरभाष : 0135 – 2662180, टैलिफैक्स – 2662021 ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.gov.in**

पत्रांक : 5405 /उ.सू.आ./2021–22 दिनांक 21/10/,2021

सेवा में,

1. लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्प संख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला जिला देहरादून। **(ceouk@wakf.gov.in)**
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्प संख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला जिला देहरादून। **(ceouk@wakf.gov.in)**

महोदय/महोदया,

अपील संख्या–32415/2020 श्री कुर्बान अली बनाम लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्प संख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला जिला देहरादून व अन्य में आयोग द्वारा पारित दिनांक 13/10/2021 के आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है।

**संलग्न : यथोपरि**

भवदीय,
21/x/21
(रजा अब्बास)
उप सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि : श्री कुर्बान अली, निवासी ग्राम इक्कड़ खुर्द पोस्ट अम्बूवाला जिला हरिद्वार को आदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित. **पंजीकृत**

**संलग्न : यथोपरि**

भवदीय,
21/x/21
उप सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

O/C
Rekha
18/10/21

# उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून,
## उत्तराखण्ड

अपील संख्या : **A(D)-32415/2020**

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू. का अधि. अधिनियम 2005

समक्ष : चन्द्र सिंह नपलच्याल, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।

दिनांक : 13/10/2021 **(ऑनलाईन ऑडियो/वीडियो के माध्यम से सुनवाई)**

अपीलकर्ता : श्री कुर्बान अली, निवासी ग्राम इक्कड़ खुर्द पोस्ट अम्बूवाला जिला हरिद्वार।

**बनाम**

प्रतिवादी : 1. लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्प संख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला जिला देहरादून।

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्प संख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला जिला देहरादून।

# आदेश

**कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा–15(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुनवाई ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेसिंग/व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से की जा रही है।**

आज द्वितीय अपील की सुनवाई में अपीलार्थी श्री कुर्बान अली अपने दूरभाष नंबर–9837121962 के माध्यम से उपस्थित हुए। श्री सोहन सिंह रावत, लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्प संख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला जिला देहरादून द्वारा पत्र संख्या–620 दिनांक 21/08/2021 के साथ प्रारूप–"क" एवं (ख), व अपील से संबंधित अन्य अभिलेख संलग्न कर आयोग कार्यालय

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

को डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया, जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया।

2. दिनांक 11/08/2021 की गत सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा अपील में सुनवाई हेतु 10 दिन बाद की कोई तिथि निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे आयोग द्वारा न्यायिक दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार करते हुए द्वितीय अपील में आगामी सुनवाई की तिथि 06/09/2021 नियत की गयी। दिनांक 06/09/2021 को मा. पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण उक्त द्वितीय अपील में तिथि परिवर्तित करते हुए पुनः दिनांक 13/10/2021 की तिथि नियत की गयी।

3. पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत है।

4. अपीलार्थी द्वारा प्रेषित द्वितीय अपीलीय पत्र दिनांक 26/10/2020, जो आयोग कार्यालय में दिनांक 29/10/2020 को प्राप्त एवं पंजीकृत हुआ है, में उल्लिखित किया कि "आवेदक द्वारा लोक सूचना अधिकारी वक्फ बोर्ड उत्तराखण्ड कार्यालय से छः बिन्दुओं पर दिनांक 27/07/2020 को जानकारी चाही थी। लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 505/आर.टी.आई. 37/2020-2021 दिनांक 21 अगस्त, 2020 के द्वारा क्रमशः बिन्दु संख्या-01, 02, 04, 05 की जानकारी देने से मना करते हुए यह कह दिया कि "ऐसी सूचना जिसके बारे में पहले सही वैधानिक प्राविधान मौजूद हैं, वह सूचना उसी प्राविधान के अंतर्गत प्राप्त की जाए, सूचना अधिकार के अंतर्गत नहीं।" आवेदक द्वारा बिन्दु संख्या 01, 02, 04, 05 की जानकारी ना मिलने के फलस्वरूप प्रथम अपील विभागीय अधिकारी को दिनांक 28/08/2020 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय दिनांक 26/09/2020 भी लोक सूचना अधिकारी का समर्थन करते हैं, जो स्पष्टतया विधि विरूद्ध है। अतः महोदय से प्रार्थना है कि आवेदक को प्रार्थना पत्र में मांगी गयी बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करायी जाये एवं निर्धारित समय-सीमा के अंदर सूचनाएं ना देने का दोषी मानते हुए धारा 20(1) के तहत निर्धारित दण्ड अधिरोपित किया जाये।"

5. अपीलार्थी द्वारा मूल अनुरोध पत्र दिनांक 27/07/2020 लोक सूचना अधिकरी/वक्फ निरीक्षक, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला, जिला देहरादून को सम्बोधित कर

प्रेषित किया गया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निम्न 06 बिन्दुओं के संबंध में सूचना चाही गयी है–

1. कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की कैश बुक में दिनांक 01/11/2017 से 31/03/2019 तक की गयी आय–व्यय के ब्यौरे की इन्द्राज की प्रतियां उपलब्ध करायें।
2. श्री मौहम्मद अली को वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो मासिक वेतन दिया जा रहा है तथा उनकी पुनः कार्यग्रहण से अतिथि तक जो वेतन वह प्राप्त कर चुके हैं उसकी सूचना तथा विभाग के माध्यम से वह वर्तमान तक जो भी इन्कमटैक्स दे चुके हैं, की सूचना उपलब्ध करायें।
3. श्री मौहम्मद अली को मिलने वाले वेतन से जो भाग सी.पी.एफ. में जमा हो रहा है, से अवगत करायें तथा जमा होने की तिथि और बैंक का नाम व ब्रांच का पता बतायें।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की सेवा में डॉ. अजय कुमार प्रदोद्यत "सचिव" उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14 जुलाई 2014 का पत्र व इस पत्र के संदर्भ में श्री मौहम्मद अली द्वारा विभाग में वित्तीय अनियमित्ता की जांच आख्या तथा उक्त पत्र में आदेशित कार्यवाही भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तथा शासन को अवगत कराने के विषयक थे, इस पत्र के आदेश का पालन करते हुए जो प्रथम सूचना मौहम्मद अली के विरूद्ध दर्ज करायी गयी, की प्रमाणित प्रति व शासन को उक्त विषय में अवगत कराते हुए जो पत्राचार किया गया उससे सूचना अधिकार में उपलब्ध करायें।
5. वक्फ जामा मस्जिद व मदरसा रहमानिया रूड़की से संबंधित वक्फ संख्या–139 मुसाफिर खाने को तोडकर उसको विकसित कराये जाने के लिए जिस विभाग से अथवा बैंक से या संगठन से दस करोड़ रूपया स्वीकृत कराये गये हैं, सभी शर्तों व इस विषय में बोर्ड में पारित हुए प्रस्ताव/आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
6. भारत सरकार की कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती स्कीम के तहत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में जितने भी कर्मचारी कार्यरत है, उन सभी के नाम, पद और नियुक्ति की तिथियों से अवगत कराएं।

6. अनुरोध पत्र के क्रम में लोक सूचना अधिकरी/रिकॉर्ड कीपर, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला देहरादून द्वारा पत्र संख्या 505 दिनांक 21/08/2020 से बिन्दु संख्या–01 लगायत 6 के संबंध में सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आयोग को प्रेषित प्रारूप–"क" में अनुरोध पत्र उनके

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

कार्यालय में दिनांक 27/07/2020 को प्राप्त होना उल्लिखित किया गया है। **लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 505 दिनांक 21/08/2020 में प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष नंबर अंकित नहीं किया गया है। जिस हेतु आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी को सचेत किया जाता है कि भविष्य में अपीलार्थी के अनुरोध पत्र के संबंध में प्रेषित सूचना पत्रों में प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम अवश्य अंकित करें।**

7. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 24/08/2020 प्रथम अपीलीय अधिकारी/उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून को सम्बोधित कर प्रेषित किया है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि "दिनांक 21/08/2020 को पत्रांक 505/आर.टी.आई. 36/2020–2021 लोक सूचना अधिकारी/रिकॉर्ड कीपर उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा आवेदक को गलत, भ्रामक व अधूरी सूचना उपलब्ध करायी गयी। उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को अधूरी, गलत सूचना देने के फलस्वरूप निर्धारित समयावधि में मेरे द्वारा उक्त अपील आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। कृपया मुझे चाही गयी बिन्दुवार सूचना तत्काल प्रदान करने का कष्ट करें, इस हेतु जो भी शुल्क देय होगा मैं जमा करने को तैयार हूं।"

8. डॉ. अहमद इकबाल, प्रथम अपीलीय अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला देहरादून द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई कर अपील का निस्तारण दिनांक 09/10/2020 को किया गया। विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा आयोग को प्रेषित प्रारूप–"ख" में अपीलीयी पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 30/08/2020 को प्राप्त होना, अंकित किया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने निस्तारण आदेश दिनांक 09/10/2020 में उल्लिखित किया कि "सुनवाई की नियत तिथि 26/09/2020 को अपीलार्थी श्री कुर्बान अली अनुपस्थित हैं। अतः पत्रावली में रक्षित साक्ष्यों के आधार पर उनके द्वारा योजित अपील का निस्तारण किया गया। पत्रावली में रक्षित अभिलेखानुसार श्री कुर्बान अली द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 27/07/2020 के माध्यम से 06 बिन्दुओं पर सूचनाएं चाही गयी थी। उक्त के क्रम में लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा पत्रावली में धारित अभिलेखानुसार उक्त की सूचनाएं इस कार्यालय के पत्रांक 505 दिनांक 21 अगस्त, 2020 के द्वारा उपलब्ध कराते हुए मा. सूचना आयोग द्वारा अपील

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

संख्या 17305/2014 दिनांक 13/04/2015 के प्रस्तर संख्या 04, 4.1 में पारित आदेश के अनुसार "ऐसी सूचना जिसके बारे में पहले ही वैधानिक प्राविधान मौजूद हैं, वह सूचना उसी प्राविधान के अंतर्गत प्राप्त की जाये, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं।" इस आशय के आदेश पूर्व मा. सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या–ए (टी.आई.)–19914/2015 दिनांक 26/07/2016 एवं अपील संख्या–ए (डी)–20646/2016 दिनांक 01/08/2016 में भी पारित किये गये हैं। चूंकि उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने से पूर्व से की वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–30 के तहत किसी पत्रावली का मुआयना करने या पत्रावली से किसी अभिलेख की नकल प्राप्त किये जाने का प्रावधान मौजूद है। उक्त के दृष्टिगत चाही गयी सूचना के बिन्दु संख्या–02, 03, 04, 06 एवं बिन्दु संख्या–07 की सूचना से संबंधित अभिलेखों की नकल की प्रतियां वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–30 के तहत प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में अपीलार्थी वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–30 के तहत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित अभिलेखों की नकल प्राप्त नहीं की गयी है, अपितु उक्त की प्रथम अपील योजित की गयी है। उपरोक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन संख्या 834 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के द्वारा नियम संख्या–46 में प्रपत्र देने हेतु नियम अधिसूचित किया गया है, अपितु दी गयी व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार चाही गयी सूचनाओं से संबंधित अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त किये जाने हेतु सूचित किया गया है। वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा 108 ए जो कि निम्नवत् है–

108 AThe provision of this Act shall have overriding effect not with standing any thing inconsistent there with contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virture of any law other than this Act.

उक्त धारा के अनुसार इस अधिनियम में दी गयी व्यवस्था को किसी अन्य अधिनियम के तहत ओवर रूल नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह चाही गयी सूचनाओं से संबंधित अभिलेखों की प्रतियां वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–30 के तहत बोर्ड कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं। अतः पत्रावली में

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 26/09/2020 को इस प्रथम अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।"

9. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर आयोग द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा अपीलार्थी से वार्ता की गयी तथा पृच्छा की गयी कि उन्हें उक्त अपील के संबंध में क्या कथन करने हैं तो अपीलार्थी द्वारा आयोग से निवेदन किया गया कि उन्हें अनुरोध पत्र के क्रम में सही सूचना प्रदान की जाये।

10. सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा अपीलार्थी के अनुरोध पत्र 27/07/2020 का परीक्षण किया गया तो प्रकट हुआ कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या–01 में कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की कैश बुक में दिनांक 01/11/2017 से 31/03/2019 तक की गयी आय–व्यय के ब्यौरे की इन्द्राज की प्रतियां उपलब्ध करायें, की सूचना चाही गयी है। जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या–01, 02, 04 के संबंध में मा. आयोग द्वारा अपील संख्या–17305/2014 दिनांक 13/04/2015 का आदेश को संदर्भित करते हुए शासन द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–30 के प्राविधान का उल्लेख कर निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के उपरांत सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उल्लिखित किया गया।

11. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 26/09/2020 में आयोग द्वारा पूर्व निस्तारित द्वितीय अपील संख्या–19914/201 दिनांक 26/07/2016 एवं अपील संख्या–20646/2016 दिनांक 01/08/2016 को संदर्भित किया गया। **उक्त द्वितीय अपील संख्या–19914/201 दिनांक 26/07/2016 एवं अपील संख्या–20646/2016 दिनांक 01/08/2016 एवं अपील संख्या–17305/2014 दिनांक 13/04/2015 एवं संयुक्त पीठ द्वारा निस्तारित द्वितीय अपील संख्या–ए(डी)–26319/2018 दिनांक 16/01/2019 से संबंधित पत्राविलयों का अवलोकन आयोग द्वारा आज सुनवाई में किया गया। जिसमें मा. आयोग द्वारा मा. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं कि "**Registerar of companies & other's v/s Dharmendra Kumar Garg **दिनांक 01/06/2012" के मामले में यह अवधारित किया गया है कि कोई ऐसी सूचना जिसके बारे में पहले से ही वैधानिक प्राविधान मौजूद हैं (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अतिरिक्त ऐसी सूचनाओं के मामलों में अलग से कानूनी प्रक्रिया का प्राविधान है, वह सूचनायें उसी प्राविधान के अंतर्गत प्राप्त की जाये, सूचना अधिकार के अंतर्गत नहीं।) इस संबंध में मा. केन्द्रिय सूचना आयोग द्वारा में भी यही अवधारित किया गया है, राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियां या निरीक्षण की व्यवस्था सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने**

से काफी पहले से हैं और भारत का कोई भी नागरिक निरीक्षण कर प्राप्त कर सकता है।"

12. उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपीलीय पत्र में अनुरोध पत्र के जिन बिन्दु संख्या–1, 2, 4, 5 के संबंध में आपत्ति दर्ज की गयी है। जिसके संबध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित पत्र संख्या–505 दिनांक 21/08/2020 में बिन्दु संख्या–05 के संबंध में सूचना कार्यालय पत्रावली में धारित नहीं होना कहा गया है, तथा शेष बिन्दु संख्या–01, 02, 04 के संबंध में अपीलार्थी को वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा 30 के तहत निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के उपरांत नकल प्रतियां प्राप्त की जा सकती है, से अवगत कराया जा चुका है। अतः आयोग द्वारा अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि यदि वह बिन्दु संख्या–01, 02, 04 के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा 30 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत नकल प्रतियां संबंधित वक्फ कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

13. द्वितीय अपील उपरोक्तानुसार विचार कर निस्तारित तथा निक्षेपित की जाती है।

14. आदेश की प्रति उभयपक्षों को ई–मेल (यदि उपलब्ध करायी गयी है तो) या पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाये।

पत्रावली संचित की जाये.
आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित.
दिनांक : 13/10/2021

13/10/21

(चन्द्र सिंह नपलच्याल)
राज्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

(RP)